भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 1441**

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओपन सेल टीवी पैनल

1441. श्री जी॰ सेल्वमः

श्रीमती संध्या रायः

श्री धनुष एम॰ कुमारः

श्री सुब्रत पाठकः

श्री विजय कुमार दुबेः

श्री रेबती त्रिपुराः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एलईडी टीवी जैसे टेलीविजन सेट के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले ओपन सेल टीवी पैनल पर से 5 प्रतिशत सीमा शुल्क हटा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कदम से टीवी की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे टीवी निर्माताओं के लिए इनपुट लागत कम होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई टीवी विनिर्माण कंपनियों ने भारत में टीवी बनाना बंद कर दिया है और अब उन्हें अन्य एशियाई देशों से आयात कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत भारत में विनिर्माण के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या जल्द ही भारत दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जहां हर घर में टेलीविजन सेट होगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक टीवी सेट बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार ने अधिसूचना सं. 30/2019-सीमाशुल्क दिनांक 17.09.2019 द्वारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए

ओपन सैल (15.6'' और उससे अधिक) पर से 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) सितम्बर, 2020 तक हटा दिया है।

(ख) : यह आशा की जाती है कि टी.वी. विनिर्माता यह लाभ उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर सकते है, जिससे टी.वी. की कीमतों में कमी आएगी।

(ग) : इंडिया सैल्यूलर एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ओपन सैल पर दिनांक 23.03.2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 32/2018 के तहत बीसीडी अधिरोपित करने के बाद से, भारत के सबसे बड़े टी.वी. विनिर्माता ने इसकी उत्पादन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी और अपने कार्य वियतनाम में स्थानांतरित कर दिए थे तथा आसियान-इंडिया एफटीए के तहत तैयार टी.वी. का आयात आरंभ कर दिया।

(घ) : मेक-इन-इंडिया पहल के तहत भारत में विनिर्माण के लिए कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ड.) और (च) : इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार, भारत में टी.वी. उद्योग की वृद्धि के लिए घरेलू बाजार मांग को पूरा करने और निर्यात, दोनों में विशेषकर विनिर्माण के दृष्टिकोण से काफी संभाव्यता है। देश में टी.वी. के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टी.वी. के आयात पर 20 प्रतिशत की दर से बीसीडी अधिरोपित किया गया है। अधिसूचना सं. 30/2019- दिनांक 17.09.2019 द्वारा सितम्बर, 2020 तक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टी.वी. चैनल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए ओपन सैल (15.6'' और उससे अधिक) पर अधिरोपित किए जाने वाले बीसीडी में कमी करके 5 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया है। ओपन सैल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इनपुटों पर भी बीसीडी की छूट प्रदान की गई है :-

- फिल्म पर चिप
- प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेम्बली (पीसीबीए)
- सैल (ग्लास बोर्ड/सबस्ट्रैट)

अनुबंध-1

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

(i) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अक्षमता को संतुलित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। नई परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तार परियोजनाओं के लिए यह स्कीम 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इस स्कीम के तहत, 110,004 करोड़ रू. के निवेश वाले 409 निवेश प्रस्ताव (10.10.2019 की स्थिति के अनुसार) विचाराधीन हैं ।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी) स्कीम को अधिसूचित किया गया था। स्कीम 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 21.10.2017 तक आवेदन की प्राप्ति के लिए खुली थी। अनुमोदित आवेदकों के लिए धन के संवितरण 5 वर्ष की आगे की अवधि उपलब्ध है। इस स्कीम के तहत देश भर के 15 राज्यों में 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

(iii) मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आटोमेटिक रूट के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है जो लागू विधियों/ विनियमों/सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अध्यधीन है।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्षों के शेष जीवन वाले उपयोग किए गए संयंत्र और मशीनरी का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 11.06.2018 की अधिसूचना के जरिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस बाउन्ड्री अभियान) नियम, 2016 के संशोधन के माध्यम से सरल किया गया है।

(v) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "निल" आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) पर आयात करने की अनुमति है।

(vi) राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-सीमा शुल्क के तहत दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क में संशोधन किया है, जिसमें भारत में विनिर्मित और मरम्मत या सुधार के लिए भारत में फिर से आयात किए गए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए काल - प्रभावन प्रतिबंध को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक शिथिल किया गया है।

(vii) भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एमईआईटीवाई ने अनिवार्य अनुपालन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद का परीक्षण कराना होता है, बीआईएस से पंजीकरण लेना होता है और उत्पाद पर पंजीकरण चिह्न लगाना होता है। इस आदेश के तहत 44 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है।

(viii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019), 25.02.2019 को अधिसूचित की गई है। एनपीई 2019 का विजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में पेश करना है, ताकि चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने और विश्व भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए सक्षमकारी वातावरण बनाने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और प्रबल किया जा सकें।

(ix) कॉरपोरेट आयकर में कटौती :

घरेलू कंपनियाँ अब 22% की दर पर (अधिभार और उपकर सहित 25.17%) रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते कि ऐसी कंपनी ने किसी भी आयकर प्रोत्साहन या छूट का दावा न किया हो। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी। इसके अलावा, विनिर्माण में नए निवेशों को आकर्षित करने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए गए है जिनमें 1 अक्तूबर, 2019 को या उसके बाद नियमित नई घरेलू कंपनियों के विनिर्माण में नव निवेश करने और 31 मार्च, 2023 तक अपना प्रचालन शुरू करने, 15% की दर पर (अधिभार और उपकर सहित 17.16%) कारपोरेट आयकर का विकल्प चुनने की अनुमति है। ऐसी कंपनी आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य आयकर छूट / प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा सकती है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी।

छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए एमएटी दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है।

<u>नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना</u>

(x) इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में शामिल करने के लिए "फंड्स ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस निधि से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

(xi) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अभिज्ञात थ्रस्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आईआईटी, आईआईएससी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आरएंडडी संगठनों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करता है । इन शोध कार्यक्रमों का उद्देश्य अवधारणा, प्रौद्योगिकी / उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी के अन्तरण के प्रमाण देना हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, इन क्षेत्रों में कई शोध पहलें की गई हैं। इन शोध कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप "मेक इन इंडिया" में सहयोग करने के लिए विशिष्टता प्राप्त जनशक्ति का सृजन होता है।

(xii) सेट टॉप बॉक्सेस(एसटीबी) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (आईसीएएस) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रणाली पर विकसित किया गया है। केबल नेटवर्क में आईसीएएस का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(xiii) ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए ऊष्मायन प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक इलेक्ट्रोप्रेनुर पार्क स्थापित किया गया है जो इस क्षेत्र में आईपी निर्माण और उत्पाद विकास में योगदान देगा।

(xiv) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी-कानपुर में नेशनल सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस लार्ज एरिया फ्लैक्सीबल इलेक्ट्रॉनिक्स (एनसीएफएलईएक्स) केंद्र स्थापित किया गया है; जिसका उद्देश्य विनिर्माण; पारिस्थितिकी तंत्र; उद्यमिता, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और मानव संसाधन और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग के सहयोग से प्रोटोटाइप का विकास करना है।

(xv) आईआईटी-बॉम्बे में नेशनल सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्नालोजी आन इण्टरनल सिक्योरिटी (एनसीईटीआईएस) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप उपलब्ध कराकर सतत आधार पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है और आंतरिक सुरक्षा के लिए घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।

(xvi) आईआईटी-पटना में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है।

(xvii) सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेट करने और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्टार्ट-अप को वन-स्टॉप सेवा प्रदान करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक फैबलेस चिप डिज़ाइन इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है।

(xviii) एसटीपीआई चेन्नई में फिनटेक में अवसंरचना, संसाधन, कोचिंग / मेंटरशिप, प्रौद्योगिकी सहायता और फिनटैक क्षेत्र में सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम उभरते हुए स्टार्ट अप्स को फंड प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना की गई है जिसमें औद्योगिक साझेदार रूप में मैसर्स इन्टलैक्ट डिजाइन, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और साझेदार बैंक के रूप में येस बैंक, पे पाल एचएसबीसी, ज्ञान साझेदार के रूप में आईआईटी चेन्नई और औद्योगिक संपर्क प्रदान करने के लिए टीआईई चेन्नई शामिल है।

(xix) एक एल ओ टी ओपन लैब - ऐरो इलेक्ट्रॉनिक्स एसटीपीआई बैंगलोर के साथ साझेदारी करके सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार इंटरनेट ऑफ थिंग्स (सीओई) की स्थापना की गई है ताकि विकासशील उत्पादों और / या एलओटी संबंधी सेवाओं के विकास के लिए एलओटी उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शैक्षणिक और व्यावसायिक परामर्श प्रदान किया जा सके।

(xx) ईएसडीएम नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और देश के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय बौद्धिक संपदा बनाने के लिए एक समग्र ईको-सिस्टम बनाने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में एक ईएसडीएम इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है।

*****